आत तत्काल

संख्या आर-11016/2/2015-पी0एण्ड सी0

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 29 अप्रैल, 2019

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए मार्च, 2019 माह के मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

*****

उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **मार्च, 2019** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में सूचनार्थ संलग्न है।

आलोक 29.04.2019

(आलोक कुमार वर्मा)

निदेशक (पी0 एण्ड सी0)

दूरभाष नं0 23381233

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य
2. पी.आई.ओ./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (संलग्न सूची के अनुसार)
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एन.आई.सी.), को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

मार्च, 2019 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:-

1. एन.सी.सी.एफ.

विभाग ने एम.एस.सी.एस. अधिनियम, 2002 के धारा 123 के तहत जारी किए गए सरकार के आदेश पर विद्वान एकल न्यायाधीश के स्थगन आदेश को रद्द करने के लिए दोहरी खंडपीठ (डबल बेंच) के समक्ष दो अधिकार लेखा अपील (एल.पी.ए.) दायर की ताकि सरकारी प्रशासक एन.सी.सी.एफ. के गैर-सरकारी बोर्ड को बदल सकें, दूसरी अधिकार लेखा अपील (एल.पी.ए.) एम.एस.सी.एस. अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत जारी किए गए सरकार के निर्देश पर विद्वान एकल न्यायाधीश के स्थगन आदेश को रद्द करने के लिए थी जिसमें एन.सी.सी.एफ. को नवम्बर, 2017 में सी.आर.सी.एस. द्वारा पंजीकृत किए गए उप-नियमों में संशोधन को प्रभावी न करने तथा उप-नियमों को संशोधित न करने के लिए कहा गया था ताकि इसे अधिनियमों और नियमों के संगत इसके मूल रूप में लाया जा सके।

"इस दौरान, रिट न्यायालय द्वारा दिनांक 09.08.2018 को पारित किए गए प्रतिवादी आदेश का संचालन स्थगित रहेगा।"

धारा 123 के अंतर्गत जारी किए गए सरकार के आदेश के संबंध में दायर की गई अधिकार लेखा-अपील के संबंध में माननीय दोहरी खंडपीठ द्वारा एक आदेश पारित किया गया जिसमें यह निर्देश दिया गया कि:-

"अधिकार लेखा अपील 173/2019 में जारी किए गए नोटिस तथा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विरोधाभासी आदेश के प्रभाव को स्थगित करते हुए, आज हमारे द्वारा पारित किए गए आदेश के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान ए.एस.जी. श्री जैन ने यह प्रस्तुति की कि उन्हें इस अपील में उठाए गए सभी आधारों का अभ्याक्रमण करने के लिए स्वतंत्र रूप से इस रिट याचिका को वापिस लेने अथवा एक याचिका/ नई अपील, यदि भविष्य में अपेक्षित हो, को दायर करने की अनुमति दी जाए। इस अपील को खारिज किया जाता है क्योंकि की गई प्रार्थना के अनुसार इसे स्वतंत्र रूप से वापिस लिया गया है।"

धारा 123 के अंतर्गत सरकार के आदेश को लागू करने के लिए एक नई अधिकार लेखा अपील (एल.पी.ए.) शीघ्र ही दायर की जाएगी। एकल खंडपीठ के समक्ष एन.सी.सी.एफ. मामले की सुनवाई की तारीख 2 मई, 2019 नियत की गई है। वर्तमान में एन.सी.सी.एफ. में अधिकांश शेयरधारिता सरकार की है।

2. विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस:-

दिनांक 15 मार्च, 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "विश्वसनीय-स्मार्ट उत्पादों" विषय पर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 2019 मनाया गया था। इसमें, एन.सी.डी.आर.सी., राज्य आयोगों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों तथा गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि ने भाग लिया।

3. एन.सी.डी.आर.सी. :

मार्च, 2019 माह में कोलकाता वेस्ट इंटरनेशनल सिटी प्रा.लि. बनाम देबाशीष रूद्र के मामले में उच्चतम न्यायालय ने एन.सी.डी.आर.सी. के निर्णय को मान्य ठहराते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया।

उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक क्रेता 7 वर्ष के विलम्ब के बाद फ्लैट के अधिग्रहण के लिए अनिश्चित रूप से प्रतीक्षा नहीं कर सकता, यह उचित समय-सीमा से बाहर है।

इस मामले में, एक शिकायतकर्ता ने 2006 में रो-हाउस (Row House) बुक किया जिसे याचिकाकर्ता तथा प्रतिवादी के बीच हुए करार के अनुसार उन्हें 31.12.2008 तक दिया जाना था। फ्लैट निर्धारित समय-सीमा में प्रदान नहीं किया गया और समापन प्रमाणपत्र वर्ष 2016 में ही दिया गया जिसके विरूद्ध शिकायतकर्ता ने राज्य आयोग में एक शिकायत दायर किया। उस समय यह मामला एन.सी.डी.आर.सी. को भेज दिया गया था और अंत में उच्चतम न्यायालय को भेजा गया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने एन.सी.डी.आर.सी. के निर्णय को मान्य ठहराते हुए डेवलपर को यह निर्देश देते हुए कि शिकायतकर्ता को भुगतान की गई राशि ब्याज सहित वापिस करे तथा उसे 2 लाख रुपये का मुआवजा दें।

4. भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.):

महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो को बी.आई.एस. (वैज्ञानिक संवर्ग की भर्ती) विनियमनों को अंतिम रूप देने तथा अधिसूचित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम की धारा-25 के के तहत नीतिगत निर्देश जारी किया गया था। पूर्व- विनियमनों (साक्षात्कार के लिए 50% अंकों को महत्व देने) के मुकाबले साक्षात्कार को कम-महत्व देने (15% अंक) की सरकार की नीति के अनुसार 100 अतिरिक्त रिक्तियों पर वैज्ञानिकों की भर्ती के लिए नए विनियमनों की आवश्यकता है। बी.आई.एस. द्वारा अभी भी विनियमन अधिसूचित किए जाने हैं।

इस मामले पर विधायी विभाग के साथ चर्चा की गई थी। तदनुसार, अधिनियम में "कठिनाइयों को दूर करने की शक्तियां" प्रावधान शामिल किया गया है और विनियमों को बनाने तथा अधिसूचित करने के प्राधिकारी के रूप में महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति को माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता वाले ब्यूरो से बदलते हुए आदेश पारित किया गया है।

5. **दालों का बफर-स्टॉक:**

- 29.03.2019 की स्थिति के अनुसार, वर्ष 2016-17 में अधिप्राप्त/ निर्यात किए गए 20.50 लाख मीट्रिक टन में से 19.75 लाख मीट्रिक टन के निपटान के उपरान्त 0.75 लाख मीट्रिक टन दालों का बफर स्टॉक उपलब्ध है।

- दालों के बफर स्टॉक अर्थात् नया बफर तैयार करने, सेना को आपूर्ति इत्यादि से संबन्धित मुद्दों पर चर्चा करने तथा उनका समाधान करने के लिए माह के दौरान नियमित साप्ताहिक पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की गई।

- मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबन्धन समिति (पी.एस.एफ.एम.सी.) की 30 वीं बैठक 6 मार्च, 2019 को हुई थी जिसमें पी.एस.एफ.एम.सी. ने अन्य बातों के साथ-साथ चालू रबी- सत्र, 2019 में नेफेड द्वारा 50,000 मीट्रिक टन प्याज के अधिप्रापण की सिफारिश की।

- पी.एस.एस. के अंतर्गत अधिप्राप्त की गई 6.92 एल.एम.टी दालों को पी. एस.एफ बफर में हस्तांतरित करने के लिए पी.एस.एफ. कायिक निधि से 3830 करोड़ रुपये पी.एस.एस. के कैश-क्रेडिट अकाउंट में रिलीज किया गया।

6. **आवश्यक वस्तु अधिनियम**

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत जारी किए गए आदेशों में लाइसेंसों के वार्षिक/आवधिक नवीकरण की अपेक्षाओं को दूर करते हुए लाइसेंसों के नवीकरण के सरलीकरण के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए सचिव महोदय की अध्यक्षता में 13.03.2019 को एक बैठक आयोजित की गई। तदनुसार एक सी.ओ.एस. नोट तैयार कर लिया गया है और मंत्रिमंडल सचिवालय को भेज दिया गया है।

7. **विधिक माप-विज्ञान (एल.एम.)**

सचिव ने डेफ्ट, नीदरलैंड में विधिक मापविज्ञान- प्रमाणन स्कीम के मैनेजमेंट कमेटी ऑफ इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन की दूसरी बैठक में भाग लिया। चर्चाएं की गई थीं और भारत को बाट तथा माप के प्रमाणन के लिए ऐसा प्रमाण-पत्र जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होगी, के लिए जारीकर्ता प्राधिकरण बनाने का तरीका विकसित किया गया। इससे भारतीय विनिर्माताओं के व्यापार में सुधार होगा। इस बैठक में, विधिक मापविज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सूची में पहली बार उप-निदेशक, विधिक मापविज्ञान, भारत को अनुमोदन प्रदान किया गया।

8. **मंहगाई की वार्षिक दर के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:**

क्रम सं.	सूचकांक	मुद्रास्फीति दर (%)		
		फरवरी, 2019 (अनन्तिम)	जनवरी, 2019 (अनिन्तिम)	फरवरी, 2018 (अंतिम)
1	थोक मूल्य सूचकांक **(वार्षिक)**	2.93	2.76	2.74
2	थोक मूल्य सूचकांक **(खाद्य वस्तुएं)**	4.28	2.34	0.95
3	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(औद्योगिक कामगार)**	6.97	6.60	4.74
4	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(संयुक्त)***	2.57	1.97	4.44
5	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक)**	-0.66	-2.24	3.26

*:-श्रृंखला 2012=100 #: नया आधार वर्ष 2011-12=100

9. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्धित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा यथासंसूचित, पूरे देश के 109 केंद्रों से प्राप्त 22 आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों के संबंध में फरवरी, 2019 माह की तुलना में मार्च, 2019 माह के मूल्य रूझान **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

10. अन्य बिंदुओं पर, मंत्रिमंडल सचिवालय को सूचित की जाने वाली अद्यतन जानकारी **अनुलग्नक II** पर दी गई है।

अनुलग्नक -I

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य – पिछले दो माह की तुलना में रूझान

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा संसूचित, पूरे देश के 109 केंद्रों से प्राप्त 22 आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों को संकलित किया गया है और फरवरी, 2019 माह की तुलना में मार्च, 2019 माह के लिए मूल्यों का रूझान नीचे दिया गया है:-

आवश्यक वस्तुओं की अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा कीमतें

(रूपए/कि.ग्रा.)

क्रम संख्या	वस्तु	मार्च, 2019 (अंतिम)	फरवरी, 2019 (अंतिम) माह	(रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चावल	30	30	0
2	गेहूं	26	26	0
3	आटा	28	28	0
4	चना दाल	65	67	-2
5	तूर दाल	75	75	0
6	उड़द दाल	72	72	0
7	मूंग दाल	76	77	-1
8	मसूर दाल	63	63	0
9	चीनी	38	38	0
10	दूध	43	43	0
11	मूंगफली का तेल	127	127	0
12	सरसों का तेल	109	109	0
13	वनस्पति	81	81	0
14	सोया तेल	92	92	0
15	सूरजमुखी का तेल	99	98	1
16	पॉम ऑयल	76	76	0
17	गुड़	43	42	1
18	चाय खुली	210	208	2
19	नमक पैकबंद	15	15	0
20	आलू	15	16	-1
21	प्याज़	16	17	-1
22	टमाटर	22	20	2

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

अनुलग्नक-II

उपभोक्ता मामले विभाग

1. लम्बे अंतर मंत्रालयी परामर्शों के कारण लंबित हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले:

-कोई नहीं-

2. सचिवों की समिति के निर्णयों का अनुपालन:

ई-समीक्षा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

3. तीन माह से अधिक समय से लम्बित 'अभियोजन के लिए स्वीकृत' मामलों की संख्या:

शून्य

4. ऐसे मामलों का विवरण जिनमें सरकार के कार्य व्यापार नियमों अथवा स्थापना नीति से विपथन हुआ है:

शून्य

5. ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन की स्थिति:

फाईलों की कुल संख्या	ई-फाईलों की कुल संख्या
192	**170**

6. लोक शिकायतों की स्थिति:

मार्च, 2019 माह में निपटाई गई लोक शिकायतों की संख्या	**मार्च, 2019** माह के अन्त में लम्बित लोक शिकायतों की संख्या
554	**334**

7. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत शिकायतों की स्थिति

मार्च, 2019 माह के दौरान, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत डॉकेटों की कुल संख्या	**मार्च, 2019 माह के अंत तक निपटाए गए कुल डॉकेटों की संख्या**
51088	**33002**

8. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन:

उपभोक्ता मामले विभाग का मूल्य निगरानी कक्ष, देशभर के 109 केंद्रों के माध्यम से, 22 आवश्यक वस्तुओं की खुदरा एवं थोक कीमतों की दैनिक आधार पर मॉनीटरिंग करता है। यह कीमतें राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दैनिक आधार पर मुख्यत: ऑनलाईन तरीके से रिपोर्ट की जाती हैं। इन कीमतों को तत्काल ही विभाग की वेबसाईट के माध्यम से प्रसारित कर दिया जाता है। क्योंकि कीमतों की ऑनलाईन रिपोर्टिंग के कारण कीमतों की रिपोर्टिंग और उनके प्रसारण में कम समय लगता है। विलम्ब से बचने तथा अधिक प्रभावी परिणामों के लिए अनुदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार, दिन-प्रति-दिन के कार्यालय कार्यों को भी ऑनलाईन किया जा रहा है।